

राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश



डीजी परिपत्र सं० ५६ /2026
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०

सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ - 226002
फोन नं 0522-2724003 / 2390240, फैक्स नं 0522-2724009
सीयूजी नं 9454400101
ई-मेल police up@nic.in
वेबसाइट https://uppolice.gov.in

दिनांक: सितम्बर 30, 2026

विषय: मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यौन अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के संदर्भ में न्यायिक एवं विधिक प्रक्रिया के दौरान प्रयोग की जाने वाली लिखित/मौखिक भाषा को अधिक संवेदनशील, जेंडर आधारित एवं सम्मानजनक बनाने हेतु उपयुक्त शब्दावली उपयोग में लाये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका Miscellaneous Application No. 1998 of 2026 in Suo Moto writ petition (Criminal) 01/2025 के अंतर्गत दिनांक 14.07.2026 को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अंतर्गत यौन एवं संवेदनशील अपराधों में संवेदनशील एवं सम्मानजनक विधिक भाषा प्रयोग किये जाने के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिसके संबंध में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “Judgments and Gender” पुस्तक प्रकाशित की गई है। पुस्तक में यह रेखांकित किया गया है कि संवेदनशील भाषा केवल शिष्टाचार का विषय नहीं है, बल्कि निष्पक्षता, गरिमा और न्याय सुनिश्चित करने का आवश्यक माध्यम है। रूढ़िवादी, अपमानजनक अथवा पीड़िता को दोषी ठहराने वाली भाषा उसे पुनः आघात पहुंचा सकती है तथा आपराधिक न्याय-प्रणाली के प्रति उसके विश्वास और सहभागिता को प्रभावित कर सकती है।

यद्यपि पुस्तक मुख्यतः न्यायिक निर्णयों के लेखन से संबंधित है, उसमें उल्लिखित सिद्धांतों को पुलिस द्वारा तैयार की जाने वाली FIR, केस डायरी, विवेचना संबंधी प्रपत्र, पुलिस रिपोर्ट एवं आरोप-पत्र में भी समान रूप से अपनाया जा सकता है। इसी आधार पर निम्नलिखित दिशा-निर्देश इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं ताकि पुलिस द्वारा उपरोक्त रिपोर्टों को तैयार करते समय जेंडर संवेदित भाषा को उपयोग में लाया जा सके।

1. **तथ्यपरक और निष्पक्ष भाषा का प्रयोग:** FIR एवं आरोप-पत्र में केवल सूचना, बयान, वित्तीय साक्ष्य, फॉरेंसिक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और विवेचना में सामने आए तथ्यों का उल्लेख किया जाए। पीड़ित/पीड़िता के चरित्र, आचरण या जीवनशैली के संबंध में व्यक्तिगत अनुमान, नैतिक टिप्पणी अथवा रूढ़िवादी धारणा शामिल न की जाए। पुस्तक भी निर्णय-लेखन को साक्ष्य-आधारित रखने तथा नैतिक धारणाओं से मुक्त रखने पर बल देती है।
2. **पीड़िता को दोषी ठहराने वाली भाषा का निषेध:** पीड़िता के वस्त्र, रहन-सहन, मित्रता, वैवाहिक स्थिति, पत्र में बाहर निकलने, मोबाइल या सोशल मीडिया के प्रयोग, घटना-स्थल पर उपस्थित होने अथवा पूर्व संबंधों को अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराने वाली टिप्पणी न लिखी जाए।

3. **चरित्र और पूर्व यौन इतिहास का उल्लेख न किया जाए:** पीड़िता की कथित प्रतिष्ठा, चरित्र, पूर्व यौन संबंध या यौन अनुभव को सहमति का प्रमाण न माना जाए। पुस्तक के अनुसार सहमति का निर्धारण संबंधित घटना की परिस्थितियों से किया जाना चाहिए, न कि पीड़िता के व्यक्तिगत अथवा यौन इतिहास से।
4. **सहमति का सही और स्पष्ट उल्लेख:** सहमति को स्वतंत्र, स्वेच्छिक, स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। चुप्पी, भय के कारण प्रतिरोध न करना, चोट का न होना, अभियुक्त को पहले से जानना अथवा उसके साथ कहीं जाना अपने-आप में सहमति नहीं माना जाए।
5. **विलम्ब से सूचना देने पर प्रतिकूल टिप्पणी नहीं:** FIR दर्ज कराने में विलम्ब को स्वतः शिकायत की असत्यता से न जोड़ा जाए। उपलब्ध होने पर विलम्ब के कारणों को पीड़िता अथवा सूचनाकर्ता के कथन के अनुसार तथ्यात्मक रूप में दर्ज किया जाए।
6. **आघात-आधारित दृष्टिकोण:** पीड़िता द्वारा शोर न मचाने, तत्काल शिकायत न करने, घटना के बाद सामान्य दिखाई देने, शांत रहने अथवा उसके बयान में किसी सामान्य विसंगति के आधार पर अविश्वासपूर्ण या आरोपात्मक भाषा का प्रयोग न किया जाए। पुस्तक स्पष्ट करती है कि चोट का अभाव, विलम्ब अथवा प्रतिरोध न करना सहमति का प्रमाण नहीं है और आघात के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिक्रिया भिन्न हो सकती है।
7. **गरिमापूर्ण संबोधन:** “अभियोक्त्री/Prosecutrix”, “बेचारी महिला”, “असहाय अबला” अथवा इसी प्रकार के संबोधनों के स्थान पर, संदर्भानुसार, “पीड़ित महिला”, “पीड़िता”, “उत्तरजीवी/सर्वाइवर”, “शिकायतकर्ता” अथवा “सूचनाकर्ता” का प्रयोग किया जाए। पुस्तक “Prosecutrix” के स्थान पर dignity-oriented शब्दों के प्रयोग की अनुशंसा करती है।
8. **लैंगिक पहचान का सम्मान:** व्यक्ति द्वारा बताई गई लैंगिक पहचान, नाम और सर्वनाम का सम्मान किया जाए। महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर अथवा अन्य लैंगिक पहचान वाले व्यक्ति के संबंध में उपहासपूर्ण, भेदभावपूर्ण या असंगत शब्दों का प्रयोग न किया जाए।
9. **अश्लील या सनसनीखेज विवरण से बचाव:** यौन अपराध का अनावश्यक रूप से विस्तृत, उत्तेजक या चित्रात्मक वर्णन न किया जाए। घटना के आवश्यक तत्वों को कानूनी, चिकित्सीय और तथ्यपरक शब्दावली में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए।
10. **वैधानिक शब्दावली का सावधानीपूर्वक प्रयोग:** किसी अपराध की धारा अथवा विधिक तत्व के रूप में अपेक्षित शब्दावली का उल्लेख किया जा सकता है; परंतु पुलिस के तथ्यात्मक विवरण में “लज्जा”, “इज्जत” और “पवित्रता” जैसी नैतिक अवधारणाओं के स्थान पर “गरिमा”, “शारीरिक स्वायत्तता”, “सहमति” और “व्यक्तिगत अखंडता के उल्लंघन” पर बल दिया जाए।
11. **बच्चों से संबंधित मामलों में बाल-संवेदनशील भाषा:** 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए “बच्चा/बालक/बालिका”, “बाल पीड़ित” अथवा “बाल उत्तरजीवी” शब्द का प्रयोग किया जाए। “सहमति से गई थी”, “बहकाऊ लड़की”, “चरित्रहीन बच्ची”, “आज्ञाकारी बेटी” या “सिखाया-पढ़ाया बच्चा” जैसे निष्कर्षात्मक शब्दों से बचा जाए। POCSO अधिनियम के अंतर्गत बच्चे की सहमति वैधानिक रूप से मान्य नहीं होती।
12. **बयान को अपने शब्दों में परिवर्तित न किया जाए:** FIR में सूचनाकर्ता अथवा पीड़ित व्यक्ति द्वारा बताए गए तथ्यों को सही और पूर्ण रूप में दर्ज किया जाए। उसके कथन का भाव बदलने, उसे कम करके प्रस्तुत करने अथवा समझौते के लिए प्रेरित करने वाली भाषा का प्रयोग न हो।
13. **आपत्तिजनक कथन का सीमित उद्धरण:** यदि शिकायतकर्ता, साक्षी या अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त कोई अपमानजनक अथवा अश्लील शब्द अपराध के प्रमाण, धमकी, जातीय/लैंगिक अपमान या मंशा को स्थापित

करने के लिए आवश्यक हो, तो उसे स्पष्ट रूप से संबंधित व्यक्ति का कथन बताते हुए उद्धरण चिह्नों में दर्ज किया जाए। उसे पुलिस अधिकारी की अपनी टिप्पणी के रूप में प्रस्तुत न किया जाए।

14. **अभियुक्त के संबंध में भी निष्पक्ष भाषा:** आरोप-पत्र न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि का निर्णय नहीं है। अतः “दरिदा”, “वासनापरस्त”, “राक्षस” या “निश्चित रूप से दोषी” जैसी भावनात्मक अभिव्यक्तियों के स्थान पर “अभियुक्त”, “आरोपित कृत्य” और “विवेचना में संकलित साक्ष्य से प्रथमदृष्टया पाया गया” जैसी विधिसम्मत भाषा अपनाई जाए।
15. **पीड़िता की पहचान और गोपनीयता:** यौन अपराध एवं बाल यौन अपराध से संबंधित मामलों में पीड़िता/बाल पीड़ित की पहचान उजागर करने वाली अनावश्यक जानकारी FIR की सार्वजनिक प्रति, प्रेस नोट, आरोप-पत्र के असंबंधित भाग या अन्य सार्वजनिक दस्तावेजों में अंकित न की जाए। लागू विधिक प्रावधानों के अनुसार पहचान गोपनीय रखी जाए।
16. **विवाह या समझौते को समाधान के रूप में न दर्शाया जाए:** यौन हिंसा अथवा घरेलू हिंसा के मामलों में अभियुक्त से विवाह, समझौता या परिवार की प्रतिष्ठा बचाने को अपराध का समाधान बताते हुए कोई टिप्पणी न की जाए। पुलिस दस्तावेज अधिकार, सुरक्षा, साक्ष्य और विधिक कार्रवाई पर केंद्रित हों।
17. **धर्म, संस्कृति और सामाजिक प्रतिष्ठा से संबंधित टिप्पणी से बचाव:** “जहाँ नारी की पूजा होती है...”, “परिवार की इज्जत चली गई” अथवा “समाज में मुँह दिखाने योग्य नहीं रही” जैसे धार्मिक-सांस्कृतिक या प्रतिष्ठा-आधारित उल्लेख न किए जाएँ। अपराध को पीड़िता के संवैधानिक अधिकारों, गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता के उल्लंघन के रूप में अभिव्यक्त किया जाए।
18. **मनोवैज्ञानिक स्थिति का अनुमान न लगाना:** सक्षम मनोवैज्ञानिक अथवा चिकित्सक की रिपोर्ट के बिना पीड़िता को “मानसिक रोगी”, “न्यूरोटिक”, “अस्थिर”, “हिस्टीरिकल” या “ड्रामेबाज” न लिखा जाए। आवश्यक होने पर “पीड़िता ने मानसिक तनाव/आघात अनुभव करने की बात बताई” अथवा विशेषज्ञ की वास्तविक राय दर्ज की जाए।
19. **अप्रासंगिक विशेषणों से बचाव:** “संस्कारी”, “स्वाभिमानी”, “भोली-भाली”, “आधुनिक”, “चरित्रवान”, “बदचलन”, “आसान चरित्र वाली” या “गोल्ड डिगर” जैसे मूल्यांकनपरक विशेषणों का प्रयोग न हो। महिला का अधिकार उसके कथित चरित्र या सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर नहीं है।
20. **पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व:** विवेचक के साथ-साथ क्षेत्राधिकारी/पर्यवेक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आरोप-पत्र, केस डायरी और अंतिम रिपोर्ट में लैंगिक रूढ़ियों, अपमानजनक शब्दावली अथवा पीड़िता-दोषारोपण वाली भाषा का प्रयोग न हुआ हो।

3. अनुपयुक्त एवं उपयुक्त शब्दावली

क्र०सं०	अनुपयुक्त/रूढ़िवादी अभिव्यक्ति	प्रस्तावित संवेदनशील अभिव्यक्ति
01	असहाय/अबला महिला	पीड़िता/उत्तरजीवी/शिकायतकर्ता
02	अभियोक्त्री/Prosecutrix	पीड़िता/उत्तरजीवी/शिकायतकर्ता
03	महिला की इज्जत लूट ली	महिला की शारीरिक स्वायत्तता एवं गरिमा का उल्लंघन किया
04	लज्जा भंग/मर्यादा भंग	यौन हमला/शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन—वैधानिक संदर्भ के अनुसार
05	अपनी अस्मत्/पवित्रता खो दी	उसके साथ यौन हिंसा की गई
06	परिवार की प्रतिष्ठा दाँव पर लगी	पीड़िता के अधिकारों और गरिमा को क्षति पहुँची

क्र०सं०	अनुपयुक्त/रूढ़िवादी अभिव्यक्ति	प्रस्तावित संवेदनशील अभिव्यक्ति
07	वासना का शिकार	यौन हिंसा/यौन उत्पीड़न की पीड़िता
08	अभियुक्त ने अपनी वासना शांत की	अभियुक्त द्वारा कथित रूप से यौन हमला किया गया
09	शारीरिक संबंध बनाए	गैर-सहमति से यौन कृत्य/बलात्कार किया—तथ्य एवं लागू विधि के अनुसार
10	वह सहमति से गई थी—बालिका के लिए	अभियुक्त द्वारा बच्चे को विश्वास में लेकर ले जाया गया/अपहरण किया गया
11	उसने विरोध या शोर नहीं किया	पीड़िता द्वारा प्रतिरोध न किए जाने की परिस्थिति; इसे सहमति न माना जाए
12	वह घटना के बाद सामान्य थी	घटना के बाद उसका देखा गया व्यवहार—बिना निष्कर्ष निकाले
13	चरित्रहीन/आसान चरित्र वाली महिला	यह उल्लेख न किया जाए; घटना से संबंधित साक्ष्य पर ध्यान दिया जाए
14	सिखाया-पढ़ाया बच्चा	बाल साक्षी; प्रभाव के संबंध में केवल उपलब्ध साक्ष्य का उल्लेख
15	बेचारी/भोली-भाली बच्ची	बाल पीड़ित/बाल उत्तरजीवी
16	उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई	अपराध के गंभीर प्रभाव पड़े; सहायता एवं पुनर्वास की आवश्यकता हो सकती है
17	निजी अंग	यथासंभव सटीक चिकित्सीय/शारीरिक शब्द
18	सेक्स स्लेव	नियंत्रण में रखकर बार-बार यौन हिंसा/शोषण की गई
19	दरिदा/राक्षस/वासनापरस्त आरोपी	अभियुक्त/आरोपित व्यक्ति

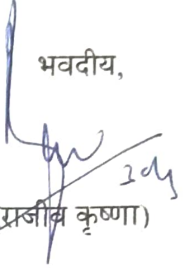
यह शब्दावली पुस्तक में दिए गए problematic phrases और neutral alternatives के अनुरूप पुलिस दस्तावेजों के लिए अनुकूलित की गई है।

4. आरोप-पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व संक्षिप्त चेकलिस्ट

पर्यवेक्षण अधिकारी यह जाँच करें कि:

- क्या आरोप-पत्र तथ्य एवं साक्ष्य पर आधारित है?
- क्या पीड़िता के चरित्र, वस्त्र, जीवनशैली या पूर्व यौन इतिहास पर अनावश्यक टिप्पणी हटाई गई है?
- क्या शिकायत में विलम्ब, चोट के अभाव या प्रतिरोध न करने को सहमति से नहीं जोड़ा गया है?
- क्या बच्चे की कथित सहमति को कानूनी सहमति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है?
- क्या भाषा गरिमापूर्ण, तटस्थ, पेशेवर और लैंगिक रूप से समावेशी है?
- क्या सनसनीखेज, नैतिकतावादी और कलंकित करने वाले शब्दों से बचा गया है?
- क्या पीड़िता/बाल पीड़ित की पहचान और गोपनीयता सुरक्षित है?
- क्या आपत्तिजनक शब्द केवल साक्ष्य की आवश्यकता होने पर उचित संदर्भ एवं उद्धरण में दर्ज किए गए हैं?
- क्या विधिक धाराओं और आरोपों का वर्णन सटीक है?
- क्या पीड़िता के विधिक सहायता, संरक्षण, सहायता एवं पुनर्वास संबंधी कदमों का आवश्यक उल्लेख किया गया है?

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों विशेषकर यौन अपराधों में सरवाईवर/पीड़िता से पेश आते समय मौखिक भाषा एवं पुलिस द्वारा तैयार की जाने वाली FIR, केस डायरी, विवेचना संबंधी प्रपत्र, पुलिस रिपोर्ट एवं आरोप-पत्र में प्रयोग की जाने वाली लिखित भाषा को अधिक संवेदनशील, जेंडर आधारित एवं सम्मानजनक बनाने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं पर अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(प्रज्ञा कृष्णा)

- 1- समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- पुलिस महानिदेशक (रेलवे), उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- निदेशक, अभियोजन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, (WCSO) उ०प्र० लखनऊ।
- 5- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
- 6- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।